तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
6.6.24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित, विपक्षीगण के सम्मन बाद तामील होकर प्राप्त हुए जिसे शा०प० किये गये। विपक्षीगण को तीन बार रुक-रुक कर आवाजे दिलायी जाने के बाद भी उपस्थित नहीं, इनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश दिया जाता है। वकील प्रार्थी का प्रा.पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखा जाकर शा०प० किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी मांडल जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj
Date: 2024.06.13 10:53:42 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी– मनोज, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या – 203/23 पत्थर

1– श्री श्यामलाल S/o श्री नन्दा बलाई निवासी- आलमास त० माण्डल

प्रार्थी

बनाम

1– श्री रामचन्द्र S/o श्री मूला कुमावत निवासी- आलमास त० माण्डल (वगैरा)
(हस्तांकित पृ० तथा संलग्न)

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांकः– 06.06.24

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम....आलमास.......पटवार हल्का.....आलमास.........तहसील माण्डल में उसके खाते /संयुक्त खाते की आराजी न0 हस्तांकित पिछले पृष्ठ...कुल किता.........1.0.........रकबा.......3.0729.....हेक्टेयर स्थित है। वादग्रस्त भूमि व विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदाविया के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक ......29.12.23......को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण का अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम.....आलमास पटवार हल्का....आलमास.....तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं....हस्तांकित पिछले पृष्ठ पर अंकित कुल किता.............1.0...............रकबा........3.0729...हेक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक.....आलमास ....1500......रुपये/– कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खड़ी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj
Date: 2024.06.13 10:53:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपिः– तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा